Shri S. N. Mishra : All considerations of the topography were taken into account, but it is thought that it was due to unusually heavy precipitation in the particular area to which the hon. Member refers.

Shri M. K. Moitra : Has the attention of the Government been drawn to a representation handed over to the Prime Minister of India when he visited the Kandi subdivision in which it has been categorically stated that the sudden release of water from the Canada Massanjore dam on the 26th September flooded the areas of Kandi?

Shri S. N. Mishra : I take this information from the hon. Member that a memorandum was submitted.

Shri M. K. Moitra : This was handed over to the Prime Minister.

Mr. Speaker : This hon. Minister is not the Prime Minister.

Shri Sadhan Gupta : But it is joint responsibility.

Mr. Speaker : I am not disputing it. All that the Minister says is that he has for the first time come to know of this from the hon. Member.

Shri V. P. Nayar : May I know whether it is not a fact that before the construction of these dams in question, systematic studies for collecting the hydrological and geological data in the areas concerned were not made, and that what data Government had were based on haphazard collections ?

Shri S. N. Mishra : I do not accept this assumption. To the extent it is necessary and possible, all the data are sought to be collected.

Shri M. K. Moitra : May I know whether Government have taken any steps to remove the sand deposits that have collected over an area of 200 acres in that locality, as a result of the sudden release of water from the Canada-Massanjore dam?

Shri S. N. Mishra : I think the State Government would be doing the needful in this respect.

मद्य-निषेध जांच समिति

***११८४. श्री भक्त दर्शन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन नियुक्त मद्यनिषेध जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तैयार किये गये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : मद्यनिषेध जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तैयार किये गये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों ने जो कदम उठाये हैं उनका ब्यौरा सभा की मेज पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४] ।

श्री भक्त दर्शन : इस ब्यौरे में बतलाया गया है कि दिल्ली के होटलों, रेस्टोरेन्टों, मद्यपान गृहों तथा थियेटरों में जनता में मद्यपान पर पाबन्दी लगा दी गई है। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इस कागजी पाबन्दी के बावजूद, अभी तक इन सार्वजनिक स्थानों में मद्यपान का खुला प्रयोग हो रहा है भद्दा प्रदर्शन हो रहा है और खास तौर पर यूनेस्को सम्मेलन के अवसर पर तो खूब मद्यपान किया गया ? क्या गवर्नमेंट इस बारे में कोई सख्त क़दम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : मैं तो ऐसा मानना चाहूंगा कि कानून का अच्छी तरह से पालन हो रहा है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कानून के पालन में बहुत सी कठिनाइयां कम से कम शुरू की हालतों में होती हैं और वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जहां तक यूनेस्को कान्फ्रेंस का सम्बन्ध है, जिसका कि माननीय सदस्य ने हवाला दिया मैं समझता हूं कि उसमें सम्मिलित होने के लिये हमारे जो माननीय अतिथि बाहर से आये हैं उनके बारे में खास तौर पर कुछ सुविधायें रखी गयी होंगी और उनको इस प्रश्न से मिलाना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि यूनेस्को सम्मेलन के अवसर पर जो विदेशी अतिथि आये हुये थे, उनके बहाने से बहुत से भारतीय

लोगों ने भी उनको दी जाने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग किया और खूब मद्यपान किया ?

श्री श्या० नं० मिश्र: यह मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो ।

श्री भक्त दर्शन: इस समिति ने एक यह सिफारिश की थी और गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना में उसको स्वीकार भी किया है कि लोगों को मद्य निषेध के प्रति प्रेरित करने के लिये जहां तक हो सके "चीप एण्ड हैल्दी साफ्ट ड्रिंक्स" का निर्माण किया जाय और उनका प्रचार किया जाय । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री श्या० नं० मिश्र : उस समिति की रिपोर्ट के मुताबिक हम लोगों ने ये सिफारिशें राज्य सरकारों के ध्यान में ला दी हैं और मेरा ख्याल है कि वे इस सम्बन्ध में भी उचित कार्यवाही करती होंगी ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन स्थानों पर मद्यपान किया जाता है, उनको रात के ग्यारह बजे के बाद खुला न रहने दिया जाय ?

Shri S. N. Mishra : I could not catch the question.

Mr. Speaker : The hon. Member may repeat her question.

Shrimati Kamlendumati Shah : Do Government propose to see that such places will not be allowed to be kept open after 11 p.m. ?

Mr. Speaker : That is, there should be no night-clubs.

Shrimati Kamlendumati Shah: Do Government propose to see that no night-clubs or hotels are allowed to function after 11 p.m. ?

Mr. Speaker : It is a suggestion for action.

Shri S. N. Mishra : Yes.

टिड्डियों के बारे में अनुसंधान

*११८६. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिड्डियों के बारे में एक अनुसंधान भवन बनाने के लिये राजस्थान में कोई जमीन ली गई है ; और

(ख) इस भवन का निर्माण कब कराया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) : (क) एक स्थान पसन्द कर लिया गया है और थोड़े समय में ही प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(ख) जमीन प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही भवन बना दिया जायेगा ।

श्री प० ला० बारूपाल : इस पर कितने रुपए खर्च किए जायेंगे और राजस्थान के कौन से हिस्से में यह अनुसन्धानशाला खोली जायगी ?

डा० पं० श० देशमुख : इस स्टेशन पर कुल खर्चा २,९८,६२० रुपए का होगा और सेकंड फ़ाइव-यीयर प्लेन में इस का प्राविजन किया गया है। उस में से १,५८,००० रुपया रिकरिंग है और १,४०,००० रुपया नान-रिकरिंग है ।

Mr. Speaker : Next Question. Shri Kajrolkar.

Shri Gidwani: I have been authorised by him. May I put it?

Mr. Speaker : Not now, but later on.

Canal Water Dues from Pakistan

*1189. **Shri Gidwani** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan Government have withheld payment of canal water dues since July, 1950 according to the agreement between the two countries;